दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 14 दिसम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 76

निर्भया केसः दोषियों को जल्द फांसी की याचिका पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

नईदिल्ली (आरएनएस)। निर्भया केस में चारो दोषियों को जल्द फांसी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज चारो दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा इस केस से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए जब तक वहां मामले का निपटारा नहीं होता है, लोअर कोर्ट तब तक सुनवाई नहीं करेगी। जज ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली है कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई को टाल दिया जाता है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए। दया याचिका लगाने से डेथ वारंट जारी होने का कोई लेना देना नहीं है. दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारंट को नहीं रोका जा सकता। निर्भया के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, तो वे डेथ वारंट को स्थगित या स्टे कर सकते हैं। बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार खारिज हो चुकी है। उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार नहीं है। इस पर जज ने कहा कि जब तक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तब तक ये कोर्ट डेथ वारंट जारी नहीं कर सकती। वहीं, कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आप केस के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं होते हैं। आप इस मामले में कोई भी फैसला आने में देरी कर रहे हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद निर्भया की मां ने कहा कि हम लोग सात साल से फांसी का इंतजार कर रहे हैं और न्याय लेकर रहेंगे। जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। निर्भया की मां व उनके पिता दोनों ने कहा कि 18 दिसंबर को निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट जारी होगा।

दोषी अक्षय के खिलाफ निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप याचिका

दिल्ली में 2012 के सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता निर्भया की मां आशा देवी ने मामले के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप की अर्जी दी है। इस याचिका को मंजूरी भी दे दी गई है।

पीड़िता की मां की तरफ से पेश हुए वकील ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष इस मामले का विशेष उल्लेख किया और इस मामले के एक दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध किया। शीर्ष न्यायालय ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और मामले की सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की।

आज मनाया जाएगा 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस'

नईदिल्ली। विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा हर साल 14 दिसंबर को 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को दर्शाना और जलवायु परिवर्तन में कमी की दिशा में राष्ट्र के सर्वांगीण प्रयासों के तहत समग्र विकास की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अथक कोशिश करना है। ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 9 से 14 दिसम्बर तक 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह' मना रहा है।

विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री आर. के. सिंह 14 दिसम्बर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मनाये जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर औद्योगिक इकाइयों (यूनिट) और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उन संगठनों के प्रयासों की सराहना करना है, जिन्होंने ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण को बाकायदा हासिल कर लिया है।

विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के अलावा ऊर्जा संरक्षण दिवस पर मंत्रालय द्वारा कुछ नई पहलों का भी शुभारंभ किया जा सकता है। ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के प्रति स्कूली बच्चों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने समूह 'ए' के तहत चौथी से लेकर छठी कक्षा तक और समूह 'बी' के तहत सातवीं से नौवीं कक्षा तक के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की। इस चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जायेंगे।

महत्वपूर्ण एवं खास

भाजपा ने चुनाव आयोग में राहुल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली (आरएनएस)। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद भाजपा की दिग्गज महिला नेता स्मृति ईरानी और राज्यसभा सांसद सरोज पांडये ने कहा कि हमने राहुल के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है और चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए न्याय करेंगे। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि हमने पहले भी यह कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने रेप को एक राजनीतिक टूल बनाने का साहस किया। हमने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। भाजपा प्रतिनाधिमंडल की अगुवाई स्मृति ईरानी और सरोज पांडेय ने की। उन्होंने चुनाव आयोग की शिकायत की जानकारी देते हुए बताया कि हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने दुष्कर्म को एक राजनीतिक हथियार बनाने का साहस किया। इस मामले में हमने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

राजनाथ ने रक्षा संबंधी संसदीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता की

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का विषय सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) था। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती अवसंरचना के निर्माण और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाने में योगदान देने के लिए बीआरओ के प्रयासों की सराहना की। बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बीआरओ के कामकाज विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के लिए परिचालन योग्य सड़क अवसंरचना बरकरार रखने के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। सीमा सड़क विकास बोर्ड (बीआरबीडी) की स्थापना 1960 में रक्षा तैयारियों में वृद्धि करने और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क निर्माण परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए की गई थी।

प्रियंका ने उठाए केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से उसकी आर्थिक नीतियों के बारे में सवाल किया। प्रियंका ने ट्वीट किया कि महंगाई पिछले तीन साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दैनिक जीवन मे इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदने में ही आम लोगों को कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कुनीतियों के चलते आई मंदी की वजह से आमदनी जीरो है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस पर मौन हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ महीनों में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों में पांच प्रतिशत की गिरावट और बेरोजगारी बढ़ने की रिपोर्ट के साथ एक विशेष मंदी देखी गई है।

पीएम मोदी मालदीव की अवामी-मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद से मिले

नईदिल्ली (आरएनएस)। मालदीव की अवामी-मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। वे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के संयुक्त निमंत्रण पर भारत आए हैं।

स्पीकर नशीद का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की संसदों के बीच द्विपक्षीय गतिविधियां दोनों देशों के प्रगाढ़ सम्बंधों की बुनियाद हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि नशीद के भारत आगमन से दोनों देशों की मैत्री मजबूत होगी।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माले यात्रा के दौरान वहां की आवामी-मजलिस को भी संबोधित किया था। उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने मालदीव के स्पीकर नशीद के मजबूत नेतृत्व में मालदीव में लोकतंत्र को लगातार मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की। मोदी ने कहा कि भारत मालदीव को स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के लिए वहां की सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले वर्ष मालदीव में नई सरकार के गठन के बाद भारत और मालदीव के बीच सम्बंधों के मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग के प्रति मोहम्मद नशीद ने धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने मालदीववासियों के कल्याण के लिए भारत द्वारा सहयोग किये जाने पर भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मालदीव सरकार 'इंडिया फर्स्ट' की नीति पर लगातार अमल करती रहेगी। उन्होंने कहा कि संसदीय शिष्टमंडल के आगमन से दोनों देशों के बीच भाईचारा और दोस्ताना सम्बंध और मजबूत होंगे।

रेप इन इंडिया पर भाजपा ने राहुल को घेरा

» लोकसभा व राज्यसभा में की माफी मांगने की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्रेप इन इंडियाश् वाले बयान पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा की महिला सांसदों समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी का जमकर विरोध किया और माफी की मांग की। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने गुरुवार को झारखंड के विधानसभा चुनाव में मेक इन इंडिया को लेकर तुकबंदी करते हुए श्रेप इन इंडियाश् की बात कही थी।

लोकसभा में एक तरफ स्मृति इरानी ने कहा कि गांधी खानदान के शख्स का बयान शर्मनाक है तो राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सांसद रहने का हक नहीं है। राजनाथ सिंह ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले सदस्य को सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है। रक्षामंत्री ने कहा कि सारा देश यह जानता है कि पीएम नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर बल दे रहे हैं ताकि भारत अब इंपोर्टर देश से एक्सपोर्टर के तौर पर तब्दील हो सके। इसलिए भी यह योजना आगे बढ़ाई जा रही है ताकि देश के नौजवानों को रोजगार हासिल हो सके। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इन शब्दों के साथ जो तुकबंदी की है, वह आहत करने वाली है। उन्होंने कहा कि क्या इस सदन में ऐसे लोग भी चुन कर आ सकते हैं, जो ऐसे भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह यह कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के भी कुछ लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया था तो हमने उन्हें उनको बुलाकर उन्हें खेद व्यक्त कराया है। कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर की ओर से ऐसा किया जा रहा है तो क्यों नहीं उन्हें सदन में आना चाहिए और सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर राज्यसभा में राहुल के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने का जिम्मा छत्तीसगढ की भाजपा सांसद सरोज पांडेय ने संभाला, जिन्होंने राहुल और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा में इस मुद्दे पर हुए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।

बीईई ने 'कम ऊर्जा खपत वाली कूलिंग' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की

नईदिल्ली (आरएनएस)। विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 9 से 14 दिसम्बर तक मनाये जा रहे 'ऊर्जा संरक्षण सप्ताह' के अन्तर्गत 12-13 दिसम्बर को नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में 'कम ऊर्जा की खपत वाली कूलिंग' पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। यह दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम) की 'सीड' पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के सहयोग से आयोजित की गई। कूलिंग सेक्टर के विकास एवं कार्यान्वयन, नीतियों और कार्यक्रमों पर टिप्पणी करते हुए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में सचिव संजीव सहाय ने कहा, 'भवनों, वाहनों और शीत श्रृंखला यानी कोल्ड चेन सेक्टर में विभिन्न स्थानों की कूलिंग करने की बढ़ती मांग एक ऐसी चुनौती है, जिसका समाधान निकालना जरूरी है। नई दक्ष प्रौद्योगिकियों की तैनाती या उपयोग के लिए इस सेक्टर में प्रभावकारी नीतियां और योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। बीईई कम ऊर्जा की खपत वाली कूलिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को कार्यान्वित करता रहा है और इसने कोल्ड चेन जैसे नए सेक्टरों में नीतिगत रूपरेखा को विकसित करने के लिए अनेक अध्ययन कराये हैं।'

इस कार्यशाला ने विभिन्न सेक्टरों और प्रतिष्ठानों में कम ऊर्जा की खपत वाले कूलिंग उपकरणों के उपयोग में तेजी लाने के अवसर तलाशने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों, उद्योगों और नीति निर्माताओं के लिए एक उल्लेखनीय प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाई है। इस कार्यशाला का उद्देश्य कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरणों, उपस्करों एवं प्रणालियों के विकास एवं उपयोग में तेजी लाने वाले उपायों की रूपरेखा तैयार करना था। इससे विभिन्न स्थानों की कूलिंग एवं कोल्ड चेन से जुड़ी नीतियों, प्रौद्योगिकियों, नवाचार, नई अवधारणाओं और कारोबारी मॉडलों को तलाशने में मदद मिली। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्य योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे सर्वश्रेष्ठ नीतिगत तौर-तरीकों, नवाचार को बढ़ावा देने के उपायों और आगे के कदमों पर विचार-विमर्श करने पर प्रकाश डाला गया। इन पहलों के साथ-साथ ज्ञान साझा करने वाले सत्रों से सर्वोत्तम नीतियां तैयार करने और विश्व भर की प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए औद्योगिक संगठनों की सहायता करने में मदद मिलती है।

इस कार्यशाला में विभिन्न नियामकीय निकायों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के प्रतिनिधियों और विश्व भर के औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न सत्रों में कम ऊर्जा की खपत वाली कूलिंग से संबंधित अनेक अंतर्राष्ट्रीय निकायों के विशेषज्ञों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान की गई चर्चाएं अत्यंत सार्थक साबित हुई और इसके साथ ही इसने कम ऊर्जा की खपत वाले कूलिंग परिवेश के लिए नई प्रौद्योगिकियों और नीतिगत रूपरेखाओं को अपनाने हेतु विभिन्न हितधारकों के लिए एक प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाई।

डॉक्टर की जली हुई लाश की आई डीएनए रिपोर्ट

» हैदराबाद गैंगरेप

हैदराबाद (आरएनएस)। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या और फिर लाश को जला देने वाली घटना ने देश को हिला कर रख दिया है। घटना के नौ दिनों के भीतर ही चारों आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। इस मामले में महिला चिकित्सक की जली हुई बॉडी की डीएनए रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डीएनए डॉक्टर के परिवारवालों से मैच कर गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को महिला वेटनरी डॉक्टर की डीएनए रिपोर्ट आ गई।

रिपोर्ट आने के बाद ये साबित हो गया है कि जली हुई बॉडी महिला डॉक्टर की ही थी और ये उनके परिवारवालों से मैच भी कर गया है। डीएनए जांच से इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि घटनास्थल पर पाए गए सेमिनल के दाग चार आरोपियों के ही थे। महिला डॉक्टर की बॉडी की हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया था। इसके अलावा पीड़िता के कपड़ों से सेमिनल सैंपल लिए गए थे। कहा जा रहा है कि जांच अधिकारियों को कुछ और रिपोर्ट का इंतज़ार है।

बर्फबारी से गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे सहित कई संपर्क मार्ग बाधित

उत्तरकाशी (आरएनएस)। उत्तरकाशी में गत दो दिन से हो रही बारिश और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी के चलते गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे सहित उत्तरकाशी-लम्बगांव मोटर मार्ग समेत एक दर्जन से अधिक मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। इसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले में गत गुरुवार सुबह से बारिश व बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निरंतर हो रही बारिश व बर्फबारी के कारण एक हजार फीट तक की ऊंचाई पर बसे गांव बर्फ से ढक गए हैं। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे गंगनानी, सुक्की टॉप, हर्षिल, धराली से गंगोत्री तक जगह-जगह बंद है। जबकि यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप, गिनोटी, ओरछा बैंड के फूलचट्टी से जानकी चट्टी में तथा उत्तरकाशी- लम्बगांव श्रीनगर मोटर मार्ग मायाली व चौरंगीखाल के पास बंद है। जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। इसके साथ ही हर्षिल-मुखबा, पयारा-झाला, भटवाड़ी-रैथल, जसपुर-पुराली तथा कमद-अंयारखाल, कुवां-कफनौल, सहित मोरी क्षेत्र के सांकरी जखोल, आराकोट -चिंवा आदि जिले भर के करीब एक दर्जन से अधिक मोटर बर्फबारी के कारण बंद हो गए हैं। जिसके कारण लोगो का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। लगातार हो रही इस बर्फबारी के चलते गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांव भी पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। इससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

» संसद के दोनों सदनों के बाद कानून में बदले 15 विधेयक

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस सत्र के दौरान दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में कुछ महत्वपूर्ण और विवादित विधेयकों का पारित कराकर मोदी सरकार विपक्ष की रणनीतियों पर भारी पड़ी है। संसद में मोदी सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद नागरिकता (संशोधन) विधेयक, विशेष सुरक्षा समूह(एसपीजी) विधेयक, ट्रांसजेंडर विधेयक, ई-सिगरेट प्रतिबंधित संबन्धी विधेयक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण को दस साल बढ़ाने संबंधी संविधान (126वां) संशोधन विधेयकों समेत 15 विधेयकों पर मुहर लगवाई है। जिनमें लोकसभा ने 14 और राज्यसभा ने 15 विधेयकों को मंजूरी दी है।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने 18 नवंबर को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में 20 बैठकों के दौरान कामकाज को लेकर जो आंकड़े पेश किये हैं उनके अनुसार संसद के दोनों सदनों में इस दौरान कामकाज का प्रतिशत 100 फीसदी से अधिक रहा। इस सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक, एससी-एसटी आरक्षण को दस साल आगे बढ़ाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक और ट्रांसजेंडर विधेयक, ई सिगरेट पर रोक लगाने संबंधी विधेयक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र संबंधी विधेयक सहित विभिन्न विधेयकों को चर्चा कर पारित किया गया।

लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता 116 फीसदी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले सदन में जानकारी दी कि इस सत्र के दौरान सदन की 20 बैठकों के दौरान 130 घंटे 45 मिनट कामकाज किया गया, जिसमें 28 घंटे 43 मिनट अतिरिक्त कामकाज के लिए सदन की बैठक चलाई गई। जिसमें वर्ष 2019-20 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों पर 5 घंटे और 5 मिनट चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सदन पेश किये गये 18 सरकारी विधेयकों में से 14 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान 140 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गए और औसतन प्रतिदिन लगभग 7.36 फीसदी तथा अनुपूरक प्रश्नों के 20.42 फीसदी उत्तर दिये गए। सदन में प्रतिदिन औसतन 58.37 मामले उठाये गए। नियम 377 के अधीन कुल 364 मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सभा की उत्पादकता 116 प्रतिशत दर्ज की गई।